राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141-2227884,
ई-मेल : seprd1235@gmail.com, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in & rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (57) पंरावि / पीसी / हैण्डपम्प संधारण / 2014 / 1495 जयपुर, दिनांक : 8-5-18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद-समस्त।

विषय :- पेयजल कार्यो हेतु जनहित में खातेदारी की भूमि के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 668 दिनांक 26.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निजी भूमि पर पेयजल सरंचनाओ के निर्माण बाबत निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओ द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के पेयजल हेतु ट्यूबवैल, हेण्डपम्प, पानी की टंकी तथा टांका निर्माण निजी खातेदारो के स्वामित्व की भूमि पर कराये जाने की स्थिति में, निजी खातेदार को 100/- रू. के स्टाम्प पेपर पर अपनी भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित पटवारी को समर्पण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त पंचायती राज संस्थाऐं उक्त भूमि पर जनहित के पेयजल संबंधी कार्य करवा सकेंगी। पंचायती राज संस्थाऐं उक्त समर्पण पत्र को संबंधित पटवारी को नामान्तरण हेतु अग्रेषित करेंगी, जिस पर कार्यवाही राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक प0 9 (15) राज-6 / 2018 दिनांक 13.03.2018 के अनुसरण में की जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इकबाल खान)
संयुक्त सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि.पं.रा.विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि.पं.रा.विभाग।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
8. ए.सी.पी., मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने के क्रम में।

अधीक्षण अभियन्ता

D:\Desktop Data\S.Sharma\Letter 2017.doc